

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"This House is of opinion that the development of Drug Industry in the country be taken up as a State concern."

The resolution was negatived.

18:43 hrs.

**RESOLUTION RE. COMPULSORY MILITARY TRAINING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

Shri Prakash Vir Shastri (Gurgaon): I beg to move:

"This House is of opinion that steps be taken to introduce compulsory military training in educational institutions."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ऐसे समय में इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने उपस्थित किया है, जबकि हमारे देश के सामने कुछ विचित्र और कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न हैं। एक समय था जब भारतवर्ष की चारदीवारी प्रकृति ने स्वयं इस प्रकार से निर्मित की थी कि शत्रु घाता था लेकिन हमारी सीमाओं पर टकरा कर रह जाता था। तीन और से भारतवर्ष की रक्षा के लिये बरुण देवता को प्रकृति ने निषत किया था और चौथी और हिमालय को भारतवर्ष की रक्षा के लिये पहरेदार बना कर लड़ा कर दिया था। लेकिन परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलीं और आज हमारे देश का भी कुछ भूभाग इस प्रकार का है जिस पर कि हमारा अधिकार नहीं है। कोई कोना इस समय हमारे देश का इस प्रकार का नहीं है जिस कोने पर कि हमारे स्वाभिमान को और हमारे राष्ट्रीय वातावरण को चुनौती न दी जा रही हो। उत्तर की दिशा में आज चीन की ओर से कुछ व्यक्ति आकर हमारे स्वाभिमान को चुनौती दे रहे हैं और हमारे भूभाग पर अपना अधिकार जमा कर बैठ गये हैं। दक्षिण में भी हमारे देश का एक

भूभाग है कि जहाँ पर पुर्नगाली लोग अधिकार किये बैठे हैं। पश्चिम का हमारे देश का एक बहुत बड़ा भूभाग, जो एक झूठा देश बन कर आज लड़ा हो गया है और वहाँ से भी भाए दिन नहीं नहीं कठिनाइयाँ हमारे देश के सामने उपस्थित होजी रहती हैं। चौथा हमारे देश का भूभाग जो पूर्व का भूभाग है, जिस पर असम और बंगाल है वहाँ भी पिछले दस बर्षों के निरन्तर परिश्रम और प्रयत्नों के बावजूद शांति स्थापित नहीं कर पाये हैं। इस तरह से चारों तरफ संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे समय में मैं इस प्रस्ताव को यहाँ पर उपस्थित करने जा रहा हूँ।

इस प्रस्ताव को उपस्थित करने का एक तो यह कारण है कि चारों ओर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं और दूसरा यह है कि सांस्कृतिक वातावरण के द्वारा इस देश को अन्दर से दुर्बल और कमजोर बनाने का वातावरण तैयार किया जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश का अपना ऐसा वातावरण रहा है कि पीछे भी हमारे स्वाभिमान को चुनौती दी गई है कुछ शताब्दियों और सहस्राब्दियों पहले परन्तु उस समय हमारे देश का वातावरण इतना पुष्ट था, इतना सबल था और हमारी क्षत्र शक्ति इतनी प्रबल थी कि जो शक्ति भी इस देश से टकराई वह यहाँ से मार लाकर गई, परास्त हो कर गई। पर इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि जब भी देश की क्षत्र शक्ति में कोई दुर्बलता आई तो इस में इस प्रकार का पृष्ठ भी लिखा गया कि हमारे ऊपर आ कर दूसरी शक्तियों ने अधिकार किया और हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण को लड़खड़ाया।

लेकिन और कुछ कहने से पूर्व, अपने प्रस्ताव की भाषा को स्पष्ट कर बना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव की भाषा में जहाँ शिक्षण संस्थाओं में सैनिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए कहा गया है, उसका अनिवार्य प्रबंध श्रेणी के न होकर, तथ्यों के लिए,

युवाओं के लिए अनिवार्य है कि वे शिक्षा प्राप्त करें। उन सब के लिए सैनिक शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।

आज मेरा यह सौभाग्य है कि जब मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करने जा रहा हूँ, तो अब से कुछ घंटे पूर्व ही इस देश के एक प्रान्त में जिमको कि राजस्थान कहा जाता है, उसकी विधान सभा में भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव आया और वहाँ पर बहुत से सदस्यों ने उपस्थित हो कर इस बात की मांग की कि राजस्थान चूँकि भारत की सीमा का एक प्रान्त है और सीमा का ऐसा प्रान्त है कि जिस की बगल से हमारे देश को कभी भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए वहाँ के विद्यालयों में सैनिक शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। इस प्रकार की मांग कल राजस्थान की विधान सभा में भी की गई थी। इसी प्रकार का एक वातावरण भारत के सीमा के एक प्रान्त पंजाब में है जिसका कि मैं यहाँ पर इस सदन में प्रतिनिधित्व करता हूँ। वहाँ पर भी बार बार यह आवाज उठी है कि युवा पीढ़ी को सैनिक शिक्षण से सज्जित करना चाहिए और सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए।

लेकिन जिन परिस्थितियों में मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित कर रहा हूँ उसका एक बड़ा कारण यह है कि न केवल मैं बल्कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता भी इसकी आवश्यकता को अनुभव करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जब इस सदन में चीन के साथ संकट की कुछ चर्चा हुई थी तो हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू न इस सदन के सदस्यों के लिए ही नहीं बल्कि सदन के सदस्यों द्वारा अपने देशवासियों के नाम एक अपील की थी। उन्होंने यह कहा कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश की नीति इस प्रकार की है कि हम लड़ाई के वातावरण को जानबूझ कर पैदा नहीं करना चाहते हैं और न लड़ाई के वातावरण को हम धामंत्रण देते हैं लेकिन चूँकि देश

के सामने परिस्थितियाँ इस प्रकार की उत्पन्न हो गई हैं कि उसे किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार अवश्य रहना चाहिए। जब हमारे देश के प्रधान मंत्री का इस प्रकार का देश के लिए आह्वान है और उनका यह कहना है कि देश को सशस्त्र किया जाए तो उसका अभिप्राय इस प्रकार का तो कदापि नहीं है कि सशस्त्र जिस चाहे व्यक्ति को कर दिया जाए। सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को सशस्त्र कर दिया जाए। आखिर उसके लिए एक परिधि, और एक सीमा हम को अवश्य निर्धारित करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अभी कल परसों मैसूर के अन्दर जो अन्त-विश्वविद्यालय समारोह हो रहा है, जो अब से पहले दिल्ली के अन्दर लगभग होता था, उसमें भारत के सेनापति जनरल थिमैया पट्टेचे और उन्होंने वहाँ जा कर युवा पीढ़ी को सम्बोधित करते हुए कहा है कि, देश के सामने जो बेरोजगारी का प्रश्न है और जो तरह तरह के प्रश्न युवा पीढ़ी के सामने आ कर उपस्थित हो गए हैं, युवकों, काहे को दूसरी सर्विसिस की ओर भागते हो, क्यों नहीं सेना में आते, क्यों नहीं सैनिक शिक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न करते ? जनरल थिमैया ने वहाँ इस प्रकार का एक संकेत कल परसों ही मैसूर के समारोह में दिया है।

इसी प्रकार अभी चीन के सम्बन्ध में दिल्ली के विद्यार्थियों ने एक समारोह किया था और प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन पर उन्होंने भारत के बड़े बड़े नेताओं के अपने लिए सन्देश मंगवाये थे। भारत के भूतपूर्व सेनापति जनरल करिअप्पा का भी एक संदेश मंगाया जिस की अपने देशवासियों में बड़ी चर्चा है। जनरल करिअप्पा ने दिल्ली के विद्यार्थियों को सन्देश देते हुए कहा है कि दिल्ली के युवा विद्यार्थियों, आज देश के स्वाभिमान को चीन के लोग इस प्रकार से चुनौती दे रहे हैं और एक नई परिस्थिति देश के सामने आ कर खड़ी हो गई है इसलिए मैं तुम को यह कहूँगा कि

## [श्री प्रकाश श्री शास्त्री]

अपने पूर्वजों की पुरानी परम्पराओं को स्मरण कर थोड़ा सशक्त होने की कोशिश करो और देश को किसी भी कठिन परिस्थिति से बचाने के लिए कुछ तैयारी करो। जनरल करिअप्पा ने देश के विद्यार्थियों को इस प्रकार का सन्देश दिया है। इसी प्रकार का एक सन्देश श्री अशोक मेनन ने अभी कुछ दिन पूर्व दिया था। बम्बई में एक भाषण में उन्होंने कहा कि हम देश के लिए ढाई लाख युवकों की एक प्रतिरक्षा सेना बनायेंगे जो देश पर किसी प्रकार की भी विपत्ति आने पर किसी भी समय काम आ सके।

मुझे प्रसन्नता है कि जिस प्रस्ताव का मैं सदन में उपस्थित कर रहा हूँ, उसके लिए केवल मेरी सम्मति ही नहीं बल्कि भारत का हर समझदार नेता और हर समझदार मस्तिष्क भी इस आवश्यकता को अनुभव कर रहा है कि देश के सामने इस प्रकार की स्थिति आ गई है कि देश की युवा पीढ़ी को सैनिक शिक्षा से दीक्षित किया जाए और सैनिक शिक्षण उनके लिए अनिवार्य कर दिया जाए। जहाँ मैं यह प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित करने जा रहा हूँ वहाँ अपने आसपास के दूसरे देशों की चर्चा भी कुछ कर देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि वहाँ क्या स्थिति है। यह मैं इस दृष्टि से उपस्थित करना चाहता हूँ ताकि हम देख सकें कि दूसरे देशों में क्या स्थिति है। अपनी बागल में एक छोटा सा देश अफगानिस्तान है। वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है कि सैनिक शिक्षण एक विशेष अवस्था में आ कर उन्होंने अनिवार्य कर दिया। उन्होंने अवश्य यह कहा है कि सैनिक शिक्षा जिस अवस्था में दी जाती है वह केवल लड़कों के लिए अनिवार्य है लड़कियों के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने अपने देश की चार दीवारी की रक्षा के लिए और विश्व के तनावपूर्ण वातावरण से अपनी स्थिति को बराबर ज्यों का त्यों

स्वाभिमानपूर्ण बनाये रखने के लिए यह अवश्य घोषित किया है कि अफगानिस्तान के विद्यार्थियों के लिए सैनिक शिक्षण लेना आवश्यक है, अनिवार्य है।

इसी प्रकार से और देशों को भी आप देखें। फ्रांस नैरोलियन बोनापार्ट का देश कहलाता है। फ्रांस के सामने एक ऐसी परिस्थिति द्वितीय महायुद्ध में उत्पन्न हुई। जब द्वितीय महायुद्ध चल रहा था तो फ्रांस के सेनापति मार्शल पेटां थे। उनके पास एक बहुत बड़ी सुसज्जित सेना थी लेकिन उस सेना ने चौदह दिन के अन्दर हिटलर की फौजों के सामने घुटने टेक दिए। प्रश्न करने वालों ने मार्शल पेटां को जा कर कहा तुम्हारा फ्रांस तो नैरोलियन बोनापार्ट का फ्रांस था, तो यह कैसी स्थिति पैदा हुई कि चौदह दिन में ही जर्मनी की फौजों के सामने तुम्हारी फौजों ने घुटने टेक दिए? मार्शल पेटां ने बड़े निराश स्वर से उत्तर दिया और कहा कि वे घुटने न टेकती तो क्या करती, फ्रांस की सेनाओं में ३५ वर्ष से कम कोई युवक ही नहीं थे। मुझे अवेइ उम्र के आदमी भरती करने पड़े क्योंकि फ्रांस में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि फ्रांस की जो युवा पीढ़ी है वह विलासिता में इतनी डूबी हुई है कि जब युवक मुझे सेना में भरती करने के लिए मिले हों नहीं तो अवेइ उम्र के लोगों को ही सेना में भरती करना पड़ा और आप जानते हैं कि अवेइ उम्र के लोगों की उमरों में भी अवेइडपन आ जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस को १४ दिन में जर्मनी के आगे घुटने टेक देने पड़े। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके पश्चात् सैनिक शिक्षण को वहाँ अनिवार्य कर दिया गया है और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आज फ्रांस जैसे देश में न केवल लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए भी सैनिक शिक्षा देने को एक विशेष अवस्था के ऊपर अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन की और

अमरीका की स्थिति भी इसी प्रकार की है। अमरीका की स्थिति इस प्रकार है कि अमरीका के संविधान में एक अनुच्छेद ४२८२ है जिस में अमरीकी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह वहां के विश्वविद्यालयों में और वहां के दूसरे विद्यालयों में इसी प्रकार के सैनिक शिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकते हैं। उसके लिए वहां पर डिविजन दिए हुए हैं। जो शब्द हैं, उनको मैं पढ़ कर सुनाता हूँ :—

“राष्ट्रपति सैनिक शिक्षा संस्थाओं में रक्षित अफसरों के एक ऐसे प्रशिक्षण दल की स्थापना कर सकेगा या उन्हें रख सकेगा जिसमें :—

(१) विश्वविद्यालयों में और उपाधि देने वाले कालिजों में और उन स्कूलों में जो केवल सैनिक शिक्षा देते हैं और शिक्षा की उपाधि न देते हैं उन्हें सेना के सचिव द्वारा योग्यता प्राप्त प्रमाणित किया गया हो— एक सैनियर डिवीजन।

(२) अन्य पब्लिक और गैर सरकारी स्कूलों में जूनियर डिवीजन।”

इस तरह की व्यवस्था उन के संविधान में है।

“शीर्षक सात की धारा ३०४ के अन्तर्गत जिस सरकारी विश्वविद्यालय अथवा सरकारी शिक्षा संस्था के लिए सैनिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है उन के अलावा किसी अन्य संस्था के अधिकारी अपने स्वस्थ छात्रों के लिए सैनिक शिक्षा का कम से कम दो वर्ष का ऐच्छिक या अनिवार्य पाठ्यक्रम की स्थापना करने और उसे जारी रखने के लिए सहमत हो और पाठ्यक्रम आरम्भ करने वाले प्रत्येक छात्र के लिए, जब तक कि उसे इस दायित्व से सचिव द्वारा विहित विनियमों के

अन्तर्गत मुक्त न किया गया हो, उसे पूरा करना स्नातक की उपाधि के लिए एक अनिवार्य शर्त हो।”

इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएँ हैं कि किस प्रकार की ट्रेनिंग किस प्रकार के व्यक्ति देंगे और किस प्रकार की दूसरी चीजें होंगी। लेकिन इस के साथ ग्रेट ब्रिटेन में एक और चीज भी है जिस को मैं आपके सामने रखने आ रहा हूँ। जब द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने वाला था उस से भी तीन वर्ष पहले ग्रेट ब्रिटेन के लोगों ने अपने देश की समस्याओं के सम्बन्ध में सोचा और उन्होंने १९३९ के आरम्भ में जब कि शान्ति काल था, महायुद्ध आरम्भ नहीं हुआ था, उसी समय अनिवार्य सैनिक शिक्षा के लिए व्यवस्था की। और अनिवार्य सैनिक शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की कि वहां पहले दो वर्ष का कोर्स इस प्रकार का होगा जो कि एक विशेष अवस्था के समर्थ और स्वस्थ लोगों के लिए लेना आवश्यक होगा। जब वह दो वर्ष का कोर्स कर चुकेंगे उस के बाद साढ़े तीन वर्ष का कोर्स होगा। इस प्रकार साढ़े पांच वर्ष के कार्य की व्यवस्था की। उस के बाद उन्होंने राष्ट्रीय सेवा ऐक्ट, १९४८-५० भी बनाया। यह साढ़े पांच वर्ष की सैनिक शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति होंगे, इस में उन के लिए यह निर्देश रखा गया कि कमी भी आपत्ति काल में अगर ग्रेट ब्रिटेन को आवश्यकता होगी तो उन लोगों को बुलाया जा सकेगा। वे व्यक्ति बैसे तो जा कर अपना अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जिस समय आपत्ति काल होगा उस समय उन लोगों को सैनिक सेवा के लिए लिया जा सकेगा।

जो परिस्थितियां ब्रिटेन के सामने सन १९३९ में थीं, वही परिस्थिति भारत के सामने आज सन १९५९ में है। इसलिए हमें यह सोचना होगा कि ब्रिटेन के लोगों ने जो बुद्धिमत्ता आज से २० वर्ष पहले की, आज भारत के लोग उन परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में उन्हें भी देश की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार करना होगा। मैं आप के

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

सामने ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस और अफगानिस्तान तथा उस से भी हट कर अपने पड़ोसी देश की चर्चा करना चाहता हूँ जो कि कल तक हमारे देश का ही भूभाग था, और जिस को पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान ने अपनी स्थिति को समझ कर सैनिक शिक्षा तो अनिवार्य नहीं की है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने वहाँ पर सैनिक शिक्षण की विशेष रूप से व्यवस्था को उद्बोधन दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप को जान कर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में बुर्कापोश महिलायें, जिन के पैर की खाल भी बुर्क से बाहर नहीं देखी जा सकती थी, इस के लिए आगे आई हैं। २०, २० और २२, २२ साल की लड़कियाँ तक अपनी कमर पर छः और सात मेर की गटफने ले कर कराची और रावलपिंडी की सड़को पर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करती चल रही है। सारे देश में सैनिक शिक्षण का दृष्टि से एक विशेष प्रकार का वातावरण तैयार किया जा रहा है। जब दूसरे देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है, जब हमारे पड़ोसी देश लड़कियाँ तक को सैनिक शिक्षा देने की व्यवस्था कर रहे हैं, उस के विपरीत हमारे देश में स्थिति क्या है? हिन्दुस्तान में स्थिति यह है कि २५, २५ साल के नौजवानों को अम्बर चर्खा चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है कि अम्बर चर्खा कैसे चलाया जाता है। जब दुनिया के अन्दर एक विशेष तरह की तनावनो पैदा हो रही है, हर एक देश अपनी रक्षा के लिए तैयार कर रहा है, उस का वातावरण बना रहा है, हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा अपनी समस्याओं के ऊपर विचार करें, और विचार करें इस दृष्टि से भी कि नहीं कहा जा सकता कि किस विपत्ति में इस देश को फँसना पड़े।

आज हमारे देश में स्कूल और कालेजों में सैनिक शिक्षण चालू भी किया गया है। आज एन० सी० सी० और ए० सी० सी० के कोर्स हैं जो देश में प्रचलित हैं। लेकिन मुझे इन

शब्दों को बड़े कण्ठ और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एन० सी० सी० और ए० सी० सी० के नाम पर स्कूलों और कालेजों में एक खिलवाड़ चल रहा है और रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। इस प्रकार की शिक्षा से तो अगर ऐसी शिक्षा न चालू की जाती तो ज्यादा अच्छा होता। पहली बात तो यह है कि सेना में अगर किसी आदमी को बंडित करना हो या किसी आदमी को किसी प्रकार की सजा देनी हो तो ऐसे अधिकारियों को एन० सी० सी० में या ए० सी० सी० में ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल या कालेज में भेजा जाता है। जो थर्ट ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के आफिसर्स होते हैं उन को एन० सी० सी० और ए० सी० सी० के ट्रेनिंग देने के लिए भेजा जाता है। अगर यह चीज अनिवार्य है और उम्र को देने की आवश्यकता है तो क्यों नहीं प्रथम श्रेणी के आदमी इस की ट्रेनिंग देने के लिये भेजे जाते? उनको वहाँ पर नियुक्त होना चाहिये फिर भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी वहाँ पर भेजे जाते हैं। दूसरी चीज यह है कि आज एन० सी० सी० और ए० सी० सी० की ट्रेनिंग लड़कों के लिए एक मनोरंजन की वस्तु बन गई है कि इस मिलेगी, और इस प्रकार की दूसरी चीजें मिलेगी। कुछ ठेकेदारों को ठेके दे दिये जाते हैं चर्खा बनाने या दूसरी चीजें मप्लाई करने के लिए और रुपये का दुरुपयोग होता चला जा रहा है। अगर यह चीज आवश्यक है तो आप एक स्तर पर स्कूल और कालेजों में इसे अनिवार्य क्यों नहीं करते और सेना के प्रथम श्रेणी के अधिकारी वहाँ क्यों नहीं भेजते? आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि वहाँ पर विद्यार्थियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वह केवल आर्ट्स साइड के विद्यार्थियों के लिए है। लॉ के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, मेडिकल के छात्रों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अगर ट्रेनिंग का लेना अनिवार्य है तो उन के लिए क्यों अनिवार्य नहीं है? आखिरकार यह शिक्षण तो सभी को

प्राप्त करना चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था उन के लिए होनी चाहिए। एक और भी दृष्टि से देश में सैनिक शिक्षण प्राप्त करना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होता चला जा रहा है। जो छात्र तरुण हैं, जिन को विद्यालयों से स्नातक हो कर राष्ट्र का दायित्व सम्भालना है उन के अन्दर अनुशासन की प्रवृत्ति जागृत होनी चाहिए। आज अगर विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तो उस के लिए मैं जहां विद्यार्थियों को दोषी ठहराना हूं वहां अपने शिक्षा विभाग और प्रबन्धक विभाग को उस से भी कहीं अधिक दोषी ठहराना चाहता हूं। उन की अनी स्थिति इस प्रकार है कि अगर आज देश में विद्यार्थियों के अनुशासन के सम्बन्ध में कोई चर्चा आती है तो प्रबन्धक विभाग और शिक्षा विभाग में एक अलग पक्ष उन को मान कर विद्यार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय होता है। आखिरकार वह विद्यार्थी, जिस के सम्बन्ध में इस प्रकार की चर्चा की जाती है वह भी किन्हीं माता पिताओं के पक्ष होंगे, किन्हीं भाइयों के दूसरे भाई होंगे, किन्हीं आप के बेटे होंगे, लड़कियां भी किन्हीं माताओं की पुत्रियां होंगी। वह बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं। उन लोगों को एक पक्ष मान कर उन के सम्बन्ध में निर्णय क्या किया जाता है? हम क्यों नहीं सोचते हैं कि वह भी हमारे परिवार के अंग है और उन की समस्या का समाधान करना हमारे लिए आवश्यक है।

मेरा कहना इस प्रकार है कि विश्वविद्यालयों के अन्दर जो अनुशासनहीनता और इस प्रकार का वातावरण बढ़ता चला जा रहा है, जिस से देश के लोगों को छोड़ इस सदन के बहुत से व्यक्ति परिचित होंगे, उस अनुशासनहीनता का बहुत बड़ा दायित्व इस शिक्षा विभाग और प्रबन्धक विभाग के ऊपर है, वह विश्वविद्यालयों के अधिकांश प्रोफेसरो और अध्यापकों के ऊपर है जो विद्यार्थियों को अपना हथियार बना कर एक दूसरे प्रोफेसर के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई एक प्रोफेसर को गिराने के लिए या दूसरे प्रोफेसर को बढ़ाने के लिए उन का उपयोग करता है। इस प्रकार की चीजें चल रही हैं जिस का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के दो बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय लखनऊ और इलाहाबाद के, इन परिस्थितियों के शिकार हो गये हैं और उन पर ताले पड़ गये हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य जल्दी समाप्त कर सकेंगे ?

श्री प्रकाश वीर शान्त्रा : जी नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** तो फिर आप अगली दफा जारी करें।

17 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday the 21st December, 1959/Agrahayana 30, 1881 (Saka).*